



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 08-04-2025

थाना रमाला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित हत्या के अभियुक्त विपुल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत के रिहायशी मकान निर्माण कार्य/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार जिसकी कुल वर्तमान कीमत लगभग 3 लाख 37 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया

।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आज दिनांक 08.04.2026 को थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त विपुल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा अपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त होकर अनुचित तरीके से अर्जित



धन से एक मकान ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत में मकान निर्माण कार्य/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराया गया, जिसकी कुल वर्तमान कीमत लगभग 03 लाख 37 हजार रुपये को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी बडौत जनपद बागपत द्वारा कुर्क किया गया तथा जस्त सम्पत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया ।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

- एक मकान ग्राम रमाला में मकान निर्माण कार्य/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार, कीमत करीब 03 लाख 37 हजार ।

अभियुक्त विपुल पुत्र राजवीर का आपराधिक इतिहास-

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	98/11	147/148/307/506 भादवि	रमाला	बागपत
2	145/12	147/302/364/201 भादवि	रमाला	बागपत
3	806/14	452/302/307/328 भादवि	बडौत	बागपत
4	59/17	120बी/302/201 भादवि	रमाला	बागपत
5	71/17	25/27 आयुध अधि०	रमाला	बागपत
6	127/17	2/3 गैंगस्टर एक्ट	रमाला	बागपत
7	49/25	140(1)/103(1)/238 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि०	रमाला	बागपत
8	76/25	317(2)/317(5) बीएनएस	सिहानीगेट	गाजियाबाद
9	188/25	2/3 गैंगस्टर एक्ट	रमाला	बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 08.04.2026

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत

2-शोकिन्द्र उर्फ मोनू पुत्र राजकुमार निवासी पट्टी धीमाना करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत

2-किशन पुत्र रामसिंह निवासी बुढसैनी थाना बालैनी जिला बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)

3-थाना दोघट पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 08.04.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवारीजन को सुपुर्द किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे उम्र करीब 05 वर्ष को तलाश कर उसकी माता के सुपुर्द किया गया । परिजनो द्वारा खेकड़ा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी



बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0 नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा
- 2.है0का0 73 राजेश कुमार थाना खेकडा
- 3.है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकडा



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 08.04.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 में छीनेती की घटना का व मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस-2023 में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी/छीना हुआ सामान, आभूषण व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1. दिनांक 13.02.26 को थाना खेकड़ा पर वादी अंकित पुत्र विद्याराम निवासी शरफाबाद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी से एक मोबाइल सिम नं0 8273939047 व 6700 रुपये छीन लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया था

2. आवेदिका ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादिनी

के घर से एक गैस सिलेन्डर, चांदी के गहने व 45000 रुपये नगद चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(A) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया था । दिनांक 07.04.26 को मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a) BNS की तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल आदि साक्ष्य संकलन से वादी के घर में अन्दर घुसकर, ताला तोड़कर चोरी करना होना



पाया गया है व एक टूटा हुआ ताला बरामद हुआ इसलिये मुकदमा मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a) BNS में धारा 331(4) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 33/26 धारा 304(2) बीएनएस-2023 में छिनेती की घटना का व मु0अ0सं0 104/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस-2023 में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी/छिने हुए 01 प्लास, 01 पेचकश, 01 बैग कपड़े का जिसमें 08 सर्ट, 02 कुर्ते, 01 बनियान, 01 जैकेट व 800 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26) अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद तथा 600 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26) अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद व 600 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26) अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद व सातवें पुलिन्दे में 700 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26) अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद व दो अँगुठी पीली धातु की व एक अँगुठी टुटी हुई पीली धातु की व 02 अँगुठी पीली धातु सफेद नग की, एक अँगुठी सफेद धातु बैगनी नग की, एक जोड़ी छोटे बच्चों के कान के कुन्डल पीली धातु, (अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद) व 02 अँगुठी पीली धातु नग सहित व एक चैन मय पेन्डिल पीली धातु की तथा एक आधार कार्ड (अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद) व एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी का तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP17P6683 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राशिद पुत्र यासीन निवासी वार्ड नं0 03 मरकज मस्जिद के पास कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 23 वर्ष
2. हुजैफा पुत्र शकील निवासी वार्ड नं0 03 हवेली नगर कस्बा रतौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष


बरामदगी का विवरण-

- 01प्लास व 01 बडा पेचकश व 01 बैग कपड़े का जिसमें 08 सर्ट ,02 कुर्ते,तथा 01 बनियान, 01 जैकेट व 800 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26) अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद
- 600 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26) अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद
- 600 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/26) अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद

- सातवें पुलिन्दे में 700 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 33/26) अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद
- दो अँगुठी पीली धातु की व एक अँगुठी टुटी हुई पीली धातु की व दो अँगुठी पीली धातु सफेद नग की व एक अँगुठी सफेद धातु बैगनी नग की व एक जोड़ी छोटे बच्चों के कान के कुन्डल पीली धातु के अभियुक्त राशिद उपरोक्त से बरामद
- 02 अँगुठी पीली धातु नग सहित व एक चैन मय पेन्डल पीली धातु की तथा एक आधार कार्ड(वादिया का) अभियुक्त हुजैफा उपरोक्त से बरामद
- एक सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी
- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP17P6683

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 115 वीरपाल सिंह थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 741 टिंकू भाटी थाना खेकडा ।
- 5-है0का0 397 मौ0रफीक खॉन थाना खेकडा ।
- 6-है0का0 847 राकेश कुमार थाना खेकडा ।
- 7-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा ।
- 8-का0 213 दीपक कुमार थाना खेकडा ।
- 9-का0 997 सोनू कुमार थाना खेकडा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक – 08.04.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में पेट्रोल/डीजल व 02 वाहन बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चालाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से भारी मात्रा में पेट्रोल/डीजल व 02 वाहन बरामद हुए हैं।



थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम को घटनास्थल पर मौके

पर एक टैम्पो संख्या UP 14 ET 6802 व एक ओमनी वैन संख्या HR 10 AB 3332 खड़ी मिली। आटो से 03 कैनों में लगभग 70 लीटर पेट्रोल तथा गाडी ओमीनी से 8 कैनों में लगभग 360 लीटर डीजल बरामद हुआ। डीजल व पेट्रोल बेच रहे अभियुक्तों ने बताया कि वे हरियाणा से सस्ते दामों पर डीजल व पेट्रोल खरीदकर विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बेचते हैं और प्रति लीटर लगभग 10 रुपये का मुनाफा कमाते हैं। उक्त संबंध में पूर्ति विभाग को भी सूचित कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-जैकी खान पुत्र सफीक खान निवासी बिलौचपुरा, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत, उम्र 42 वर्ष ,
- 2-सावन पुत्र पवन निवासी धनौरा सिल्वर नगर, थाना बिनौली, जनपद बागपत, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण.

- डीजल: 360 लीटर (8 कैन)
- पेट्रोल: 70 लीटर (3 कैन)
- एक ओमनी वैन संख्या HR 10 AB 3332
- एक टैम्पो संख्या UP 14 ET 6802

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 739 धर्मेन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

